समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक: बी0–114–105(0001)/2013–37/आ0 दिनांक: 01.01.2013 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्त शीर्ष 2015–निर्वाचन–105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार– 0001– लोक सभा निर्वाचन अन्तर्गत 13 01 कार्यालय व्यय इकाई अन्तर्गत मो0 1,20,000.00 (एक लाख बीस हजार) रुपये मात्र आवंटन प्राप्त हुए है। जिसे निम्नलिखित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके सामने स्तम्भ (3) में अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	उप आवंटित कार्यालय व्यय 13 01
1	2	3
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	1,20,000.00
	योगः–	**1,20,000.00**

2. आवंटित राशि का व्यय शीर्ष 2015–निर्वाचन–105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार– 0001– लोक सभा निर्वाचन अन्तर्गत 13 01 कार्यालय व्यय इकाई अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3. उपावंटित राशि मांग संख्या–06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड– एन 2015001050001 है।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक: एम–4–05/98/2561 वि0(2) दिनांक: 17.04.1998 एवं पत्रांक: 4981 वि0(2) दिनांक: 16.05.2013 के आलोक में आवंटित है।

5. वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्तीय नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6. यह राशि आगामी लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 की पूर्व तैयारी के निमित्त राज्य के बाहर से ई0वी0एम0 लाने एवं अन्य संबंधित कार्यों पर होने वाले नियमानुसार व्यय के भुगतान हेतु आवंटित है। आवंटित राशि में से विधि–व्यवस्था/पुलिस बलों/केन्द्रीय बलों के आवागमन या ठहराव इत्यादि पर हुए व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का मतलब व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. आवंटित राशि का भुगतान किये जाने से पूर्व संबंधित फर्म/ व्यक्ति से नियमानुसार आयकर/बिक्री कर/वैट (VAT) की कटौती करते हुए संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाये।

9. भुगतान पाने वाले प्रतिष्ठान/व्यक्ति यदि सेवाकर प्रदाता हैं तो उनके विपत्र पर सेवाकर निबंधन संख्या/सेवाकर कोड एवं लेखा कोड अंकित है या नहीं इस संबंध में सुनिश्चित होने के उपरान्त् ही भुगतान किया जाय।

10. आवंटित राशि के व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन आदेश की सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

Sd/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः ..../ नि0, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर / उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः ..../ नि0, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार,–सह–सरकार के प्रधान सचिव बिहार पटना के पत्रांकः 37 / आ0 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः 611 / नि0, दिनांकः 12/11/2013

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(हस्ताक्षर) 12/11/13

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।